

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक:- नर्सिंग / फार्मासिस्ट / 13736 / 2024 / दिनांक:-

-:आदेश:-

श्री जितेन्द्र कुमार प्रजापति, फार्मासिस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगरू, जयपुर द्वितीय को दिनांक 28.05.2024 से 05.06.2024 तक (09 दिवस) विदेश भ्रमण (थाईलेण्ड) हेतु स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

1. कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेगा तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात् अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होगा।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेगा।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी/अवैधानिक गतिविधियों से संबंधित नहीं रहेगा।
7. कार्मिक विदेश जाकर किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेगा।

उक्त स्वीकृति राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 35(28)/चिस्वा/ग्रुप-3/2017 दिनांक 16.11.17 के अनुसरण में जारी की जा रही है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक(अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग / फार्मासिस्ट / 13736 / 2024 / 100

दिनांक:- 27-05-2024

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को उनके पत्र क्रमांक 404 दिनांक 22.05.2024 के क्रम में।
2. श्री जितेन्द्र कुमार प्रजापति, फार्मासिस्ट, को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक(अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
7441258



Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date: 2024.05.25 16:29:15 IST
Reason: Approved